

राजस्थान सरकार
मानीय विकास विभाग

प.०९४।४नविक्रि ३/१५

जयपुर, दिनांक ५.१.२००१

समस्त जिला व्यावटर,

राजस्थान.

विषय :- दिनांक १५.८.१९८ से पूर्व कच्ची बस्तियों में रहने
वाले व्यावतयों को पटटे जारी करने के स्थिर में -

महोदय,

मानीय मुख्यमंत्री महोदय के श्रीगणानगर के प्रवास दिनांक
३.१.२००१ के समय प्रश्न उपस्थित हुआ कि कच्ची बस्तियों में ऐसे
व्यक्ति जो १५.८.१९८ से वहाँ निवास कर रहे हैं, किन्तु उनके पास
उनके निवास का एक भी दस्तावेजी स्वृत नहीं है, उन्हें पटटे जारी
किए जाये अथवा नहीं ?

इस स्थिर में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.०९४।४नविक्रि
३/१५ दिनांक १८.५.१९९ के स्वर्गमें स्पष्ट किया जाता है कि किसी
भी कच्ची बस्ती में १५.८.१९८ से पूर्व रहने वाले व्यक्तियों के भूमिकों
का नियमन उन्हें द्वारा इस स्थिर में न्यूनतम एक स्वृत पेश करने पर
ही किया जा सकेगा ।

भूदीय,

५०१००
एच.एस.भारद्वाज
शास्त्र उप सचिव प्रथम